I/46088/2023

दिनांक 19.04.2023 को अपराह्न 02:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, अध्यक्ष और सीईओ, एनएसईजेड (NSEZ) प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित एनएसईजेड प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान एनएसईजेड (NSEZ) प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ)
2. श्री राकेश कुमार, सहायक डीजीएफटी (DGFT), कानपुर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)।
3. श्री राहुल टंडन, आईडेमिया सिसकॉम, विशेष आमंत्रित (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से)।
4. श्री किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त और सचिव एनएसईजेड (NSEZ) प्राधिकरण (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)।

इसके अलावा, (i) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, (ii) श्री अमित कुमार गुप्ता, उपायुक्त (सीमा शुल्क), एनएसईजेड (NSEZ), (iii) श्री अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एनएसईजेड (NSEZ), (iv) श्री राजेंद्र मोहन कश्यप , सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) और (v) श्री अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक-II भी प्राधिकरण की सहायता के लिए उपस्थित थे। कोरम पूरा होने के कारण बैठक आगे बढ़ी।

शुरुआत में, एनएसईजेडए (NSEZA) के अध्यक्ष और सीईओ (CEO) ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमशः निर्णयों के साथ लिया गया।

1. **दिनांक 21.03.2023 को आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:**

1.1 एनएसईजेड (NSEZ) प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि प्राधिकरण द्वारा पट्टा किराए में वृद्धि के खिलाफ मैसर्स अर्शी ओवरसीज से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद लीज रेंट में वृद्धि के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखने का फैसला किया। तदनुसार, 21.03.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

1.2 इसके अलावा, एनएसईजेड (NSEZ) प्राधिकरण ने एसईजेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 10 के उप-नियम 14 के संदर्भ में 21.03.2023 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की। इसने इन निर्णयों के शीघ्र कार्यान्वयन की मांग की।

2. सुविधा केंद्र, एनएसईजेड (NSEZ) दुकान आवंटन की नियम और शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में।

2.1 प्राधिकरण को बताया गया कि सुविधा केंद्र में दुकानों के मौजूदा आवंटियों द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आवंटी न तो समय पर पट्टा किराया दे रहे हैं और न ही उनमें से कई ने कोई किराए के समझौता किया है। प्राधिकरण ने क्षेत्र में सफाई की कमी और नालियों के चोक होने पर भी ध्यान दिया।

2.2 प्राधिकरण को यह भी बताया गया कि वर्तमान में आवंटियों को 30.06.2023 को समाप्त होने वाली चालू तिमाही के पट्टा किराया के भुगतान के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ आवंटियों ने इन किराए का भुगतान कर दिया है।

सुरेंद्र मलिक

निर्णय:- प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की, सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया और सभी विचारों का वजन किया। उचित विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने इन प्रतिष्ठानों की किरायेदारी की अवधि को 3.6.2023 तक समाप्त करने का निर्णय लिया। इससे आगे की अवधि के लिए, मैसर्स एमएसटीसी (MSTC) लिमिटेड के माध्यम से ई-निविदा शुरू करने का निर्णय लिया गया था। नए आवंटन के लिए सभी औपचारिकताएं 30.06.2023 को या उससे पहले पूरी की जानी चाहिए। समिति ने वैध किरायेदारी अवधि वाले सभी मौजूदा किरायेदारों के संबंध में एक किरायेदारी समझौते को निष्पादित करने का भी निर्देश दिया। यह किरायेदारी समझौता एक समान होगा और प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा। इस समझौते की कुछ शर्तों में उप-किराये पर देना और खाना पकाने की सुविधा पर रोक होगी। समिति ने आवंटियों द्वारा परिसर खाली नहीं करने पर सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

3. एनएसईजेड (NSEZ) में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

3.1 प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि वाणिज्य विभाग ने कर्मियों के कौशल विकास और पुनर्कौशल सहित कौशल विकास के स्पष्ट उद्देश्य के साथ नोएडा एसईजेड (SEZ) के अंदर कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया था। यह भी बताया गया कि नोएडा एसईजेड (SEZ) कौशल विकास परिषदों सहित हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। हालांकि, यह देखा गया कि उत्साह के बावजूद जमीनी स्तर पर बहुत कम कार्रवाई हुई जिसे कोई भी लेने को तैयार था।

3.2 यह भी बताया गया कि नोएडा एसईजेड (SEZ) ने नोएडा एसईजेड की विभिन्न संभावित इकाइयों के साथ कई दौर की चर्चा की थी, जो दिल्ली/एनसीआर में कौशल विकास केंद्र चलाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। कुछ इकाइयों ने अपने सीएसआर (CSR) फंड के माध्यम से नोएडा एसईजेड (SEZ) में ऐसे केंद्र स्थापित करने और चलाने में रुचि दिखाई है।

3.3 स्थान की उपलब्धता के संबंध में, प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि सुविधा केंद्र की पहली मंजिल, जिसका निर्माण एनबीसीसी (NBCC) द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था, उस समय से अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। इसे नोएडा एसईजेड में हितधारकों को आवंटित करने के कई प्रयास किए गए हैं लेकिन किसी एजेंसी/इकाई ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। इकाइयों ने संकेत दिया कि किराया एक मुद्दा था

3.4 छोटी कक्षा प्रकार कौशल केंद्र की स्थापना के लिए व्यापार ब्लॉक में एक जगह की भी पहचान की गई। यह नोट किया गया था कि उपरोक्त पैरा 3.3 में स्थान जो लंबे समय से खाली था, के विपरीत, व्यापार ब्लॉक में स्थान इकाइयों को आवंटित किया जा रहा था।

3.5 समिति ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया:-

I. एनएसईजेड प्राधिकरण नोएडा एसईजेड के सुविधा केंद्र में (ए) कौशल विकास केंद्र और (बी) नोएडा एसईजेड (SEZ) के व्यापार ब्लॉक में एक अन्य कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित करेगा।

II. आवेदनों की जांच के लिए संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। समिति में सभी उप विकास आयुक्त, विकास आयुक्त सीमा शुल्क और सहायक विकास आयुक्त (एस्टेट) सदस्य के रूप में होंगे।

III. चयनित इकाइयां अपने स्तर पर कौशल विकास केंद्र स्थापित करेंगी।

IV. सुविधा केंद्र में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित केंद्र के लिए कोई पट्टा किराया नहीं लिया जाएगा। इसका कारण यह है कि यह एक दशक से अधिक समय से खाली पड़ा हुआ है, यह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन में वृद्धि करेगा और यदि किराया लगाया जाता है तो इकाई द्वारा कम रुचि

सुरेंद्र मलिक

दिखाई जाएगी। हालांकि, नोएडा एसईजेड (SEZ) के व्यापार ब्लॉक में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित केंद्र के संचालक से पट्टा किराया लिया जाएगा। रखरखाव शुल्क, पानी और बिजली शुल्क इन दोनों केंद्रों के संबंधित संचालको द्वारा देय होंगे।\

V. एनएसईजेडए (NSEZA) इन कौशल विकास केंद्रों के लिए आवंटन शुल्क के साथ-साथ सुरक्षा जमा भी नहीं लेगा।

VI. चूंकि, सुविधा केंद्र में जगह पहली मंजिल पर है और वहां कोई लिफ्ट स्थापित नहीं है, एनएसईजेडए (NSEZA) एक समय में कम से कम 18-20 व्यक्तियों की क्षमता वाली एक बड़ी लिफ्ट स्थापित करने की व्यवस्था करेगा।

VII. आवंटन की प्रारंभिक अवधि 12 महीने होगी और इकाई को छह महीने के भीतर सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, प्रशिक्षकों की संख्या, कक्षा सुविधाएं, रोजगार दर आदि जैसे कुछ मापदंडों पर समीक्षा करने के लिए, केंद्र की सफलता के आधार पर एक वर्ष का और विस्तार दिया जाएगा।

VIII. एनएसईजेडए (NSEZA) हर छह महीने में केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करेगा।

4. <u>सम्पदा अधिकारी एवं सचिव के कार्य आवंटन के सम्बन्ध में।</u>

4.1 प्राधिकरण को सूचित किया गया कि दिनांक 31.03.2023 के कार्यालय आदेश द्वारा श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त के स्थान पर श्री किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त को सम्पदा अधिकारी और सचिव के रूप में नामित किया गया है।

निर्णय:- प्राधिकरण ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि की।

5. <u>एनएसईजेड (NSEZ) में विभिन रखरखाव की सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध की वैधता के सम्बन्ध में।</u>

5.1 प्राधिकरण को यह सूचित किया गया था कि मैसर्स वैपकोस लिमिटेड के साथ विभिन्न संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध की वैधता 30.06.2023 तक वैध है।

5.2 यह नोट किया गया है कि जीएफआर (GFR) नियम 149 के अनुसार "जीईएम (GEM) पर उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए मंत्रालयों और विभाग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य होगी।" इसलिए समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मैसर्स वैपकोस लिमिटेड के परामर्श से केवल जीईएम के माध्यम से जनशक्ति संबंधी सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय लिया और मैसर्स वैपकोस लिमिटेड के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए समिति ने मैसर्स वैपकोस लिमिटेड और यह कार्यालय एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के बीच अनुबंध की वैधता बढ़ाने का निर्णय लिया। समिति ने आगे निर्देश दिया कि मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड अनुमोदन के लिए इस कार्यालय को प्रारूप निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करेगी और उसके बाद विभिन्न निजी विक्रेताओं के माध्यम से उनके द्वारा प्रदान की जा रही सभी प्रकार की सेवाओं के संबंध में तत्काल नई निविदा आमंत्रित करेगी। मौजूदा निजी विक्रेताओं को 30.06.2023 के बाद और कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

5.3 समिति ने मैसर्स वैपकोस लिमिटेड के ठेकेदारों के प्रदर्शन पर भी चर्चा की। समिति को सूचित किया गया है कि ठेकेदार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं और मासिक बिल समय पर जमा नहीं कर रहे हैं। ठेकेदारों का प्रदर्शन भी काफी खराब पाया गया है।

सुरेंद्र मलिक

5.4 मैसर्स वैपकोस लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्स सीडीआई सिक्योरिटी को समय पर वेतन का भुगतान न करने और गश्त के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराने, मैसर्स रॉयल कंस्ट्रक्शन को वर्दी प्रदान न करने, कार्य के दायरे के अनुसार क्षेत्र परिसर के बाहर अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालना, केंद्रीय कगार, सभी पार्कों का रखरखाव न करना और निविदा के अनुसार उपभोज्य उपकरण उपलब्ध नहीं कराना, एनएसईजेड (NSEZ) में बायोमेट्रिक मशीन के साथ छेड़छाड़ के लिए मैसर्स विमल एंटरप्राइजेज समय पर मजदूरी का भुगतान न करने के लिए एससीएन जारी किया है।

5.5 समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उचित विचार-विमर्श के बाद मैसर्स वैपकोस लिमिटेड को ऐसी सभी एजेंसियों को अगली निविदा में भाग लेने से रोकने का निर्देश दिया है। जीएफआर (GFR) के नियम 151 के अनुसार ऐसे सभी ठेकेदारों को और उचित अवसर दिया जा सकता है।

6. मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रदर्शन की समीक्षा।

मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष रखी गई थी। प्राधिकरण ने एक-एक करके सेवाओं की समीक्षा की और की गई प्रगति पर ध्यान दिया और मैसर्स वैपकोस को निर्देश दिया कि सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें और यदि कोई असाधारण स्थिति है, तो समय के विस्तार के लिए मौजूदा वैधता अवधि से पहले सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए लिखित में उचित औचित्य देते हुए आवेदन किया जा सकता है।

7. अतिरिक्त यदि अंक, कोई हो, और सीईओ (CEO) की मंजूरी के साथ।

7.1 एसडीएफ ए और बी ब्लॉक, औद्योगिक कैंटीन नंबर-2, एनएसईजेड (NSEZ) की बिल्डिंग और एनडीआरएफ (NDRF) को आवंटित भवन, बीएसएनएल (BSNL) बिल्डिंग और एनएसईजेड (NSEZ), नोएडा में स्टाफ क्वार्टर नंबर-डी-1 और डी-2 की संरचनात्मक अंकेक्षण की रिपोर्ट निम्नानुसार है: -

"सभी संरचना परीक्षण करने के बाद, अंकेक्षण टीम ने संरचना अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि एसडीएफ-ए और बी ब्लॉक और बीएसएनएल (BSNL) बिल्डिंग में मामूली खराबी है, जिसके लिए रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा औद्योगिक जलपान गृह नंबर-2 की बिल्डिंग, एनडीआरएफ (NDRF) बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स डी1 और डी2 की हालत काफी खराब पाई गई है, इससे ऊपर कोई और मंजिल नहीं बनाया जा सकता है। इसे गिराना होगा"

उक्त संरचनात्मक अंकेक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए समिति ने विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:-

a. एसडीएफ ए और बी ब्लॉक- उन्नयन एवं निगरानी समितियों की रिपोर्ट के अनुसार नियमित रखरखाव।

b. औद्योगिक जलपान गृह नंबर 2- मौजूदा इमारत को गिरा दें और एनएसईजेडए (NSEZA) के अधिकार प्राप्त सीईओ (CEO) फाइल पर आगे का फैसला लें।

c. सेवा केंद्र के पीछे का भवन- मौजूदा भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण करना जैसे भूतल-कैफेटेरिया/जलपान गृह, दुकानें, एनएसईजेड (NSEZ) से संबंधित सेवा प्रदाता के लिए कार्यालय स्थान, पहली मंजिल-एनएसईजेड (NSEZ) कर्मचारियों के लिए कार्यालय कक्ष, रिकॉर्ड रूम, कोर्ट रूम, दूसरी मंजिल-फ्लेक्सिबल सम्मेलन हॉल, ऑफिसर रूम आदि।

d. स्टाफ क्वार्टर के पास की जगह एनएसईजेड-मौजूदा बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण और अधिकार प्राप्त सीईओ (CEO) एनएसईजेडए (NSEZA) फाइल पर आगे निर्णय लेते हैं।

सुरेंद्र मलिक

e. अतिथि गृह डी-1-डी2- समिति के अधिकार प्राप्त सीईओ (CEO) एनएसईजेडए (NSEZA) फाइल पर आगे निर्णय लेते हैं।

7.2 **गोल्फ कार्ट की खरीद-** NSEZ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.03.2023 में समिति को सूचित किया गया था कि दस 20 सीटर गोल्फ कार्ट (केवल मेट्रो स्टेशन से एनएसईजेड (NSEZ) तक इंट्रा ज़ोन उपयोग के लिए) खरीदने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जीईएम (GEM) में 14 सीटर गोल्फ कार्ट तक उपलब्ध हैं। समिति ने इसे नोट किया।

7.3 **सुविधा केंद्र में लिफ्ट की स्थापना -** समिति ने सुविधा केंद्र में माल-सह-यात्री लिफ्ट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इस उद्देश्य के लिए विस्तृत अनुमान मंगाने का निर्णय लिया।

7.4 अन्य कार्यसूची: वहनीयता और हरित ऊर्जा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, वोल्वो-आयशर द्वारा मेट्रो से एनएसईजेड (NSEZ) तक पूर्व परीक्षण इलेक्ट्रिक बस चलाने के मुद्दे को सहमति प्रदान किया। इस पूर्व परीक्षण में उत्पन्न मांग के आधार पर एनएसईजेड (NSEZ) द्वारा इन बसों को किराए पर लेने पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त